सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 57/2019 **दायर तारीख :–** 28-06-2019

1. कल्ली देवी पत्नी बद्री जाति हरिजन निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. सन्ती देवी पत्नी सीताराम जाति बावरिया निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर

समस्त जरिये मुख्त्यार बिशन सिंह पुत्र श्री कंवरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी भोनावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजी लाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 11.07.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2526/1.67 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं खाता संख्या 335 के खसरा नंबर 2523/0.30, 2524/0.28, 2525/0.78 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश रजि0 पृष्ठ संख्या 5 क्रमांक 52 दिनांक 18.06.2019 की पालना में सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2526/1.67 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 335 के खसरा नंबर 2523/0.30, 2524/0.28, 2525/0.78 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खाता संख्या 31 नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, खाता संख्या 335 नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 25.06.2019, मुख्त्यार नामा आम कल्ली देवी, मुख्त्यार नामा आम सन्ती देवी आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम भाबरू के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2526/1.67 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं खाता संख्या 335 के खसरा नंबर 2523/0.30, 2524/0.28, 2525/0.78 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर प्रार्थीगण अपनी भूमि के सीमाओं पर स्थाई निशानात पत्थरगढी करवाया जाकर अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहती है। यह भी कि प्रार्थीगण ने दिनांक 25.06.2018 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम भाबरू के खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2526/1.67 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 335 के खसरा नंबर 2523/0.30, 2524/0.28, 2525/0.78 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested